

16.	मिस्ट्री (टेलीफोन, मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, आदि)
17.	मीटर रीडर
18.	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रैन, डोरिक, डीजल इंजन, डोसर, ड्रैगलिंग ड्रिल डम्बर, खुदाई, फॉर्क लिफ्ट जेनरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर और पेमेंट ब्रेकर लोडर, पंप, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेटबैच, रेलवे गार्ड, मरम्मत करने वाला (बैटरी)
19.	सर्वेयर (सर्वेक्षक)
20.	फायरमैन
21.	दर्जी
22.	कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
23.	मोची
24.	लाइनमैन
25.	राजमिस्ट्री
26.	माली
27.	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
28.	पुस्तकालय अध्यक्ष
29.	टेलीफोन ऑपरेटर
30.	अनुवादक
31.	मुंशी
32.	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारे जाते हैं, जो लिपिक प्रकृति के हैं या कुशल प्रकृति का कोई अन्य प्रवर्ग, जिनमें कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहल और विवके की आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।

क्र0सं0	अन्याधिक कुशल
1.	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
2.	मिस्ट्री (एयर कडिशनिंग)
3.	ओवरसियर (सीनियर और जूनियर)
4.	कंपाउन्डर / मेडिकल टेक्नीशियन
5.	नर्स या इसी प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य कामगार
6.	मुख्य मिस्ट्री
7.	मशीन टूल मैकेनिक
8.	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
9.	बायलरमैन केबल संयोजक
10.	मैकेनिक (वातानुकूलन)
11.	सड़क निरीक्षक
12.	उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त)
13.	वेल्डर एवं फिटर
14.	वायर मैन
15.	उद्घोषक / गायक / वादक
16.	चित्रकार
17.	प्रधान बावर्ची
18.	प्रधान खानसामा
19.	प्रधान महाराज
20.	प्रधान कारीगर
21.	प्रधान मिस्ट्री (मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन आदि)

सुरक्षा अधिकारी

	या कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति का हो, जिनमें सधन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इनके निष्पादन हेतु कामगारों में विवके या विनिश्चय के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वे किसी भी नाम से पुकारे जाए।
--	---

क्र0सं0	लिपिकीय / पर्यावेक्षीय संवर्ग
1.	सहायक (फार्म)
2.	सहायक (कैशियर)
3.	कम्प्यूटर / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
4.	मुंशी
5.	स्टोरकीपर
6.	टाइपकीपर
7.	टंकक
8.	लेखा लिपिक
10.	बुककीपर
11.	पत्रिका लिपिक
12.	स्टोरलिपिक
13.	रजिस्टर कीपर
14.	लिपिक
	या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि लिपिकीय अथवा पर्यावेक्षकीय प्रकृति के हों।

एतद् द्वारा प्रारूप अधिसूचना के गजट प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि भी निर्धारित करते हैं, जिस अवधि में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्ति अपना आपति एवं सुझाव समर्पित कर सकते हैं। यदि कोई आपति अथवा सूझाव हो तो उसे श्रमायुक्त बिहार को अथवा lcbihar@bihar.gov.in पर ई-मेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपति अथवा सूझाव को उपर्युक्त अंकित अवधि के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

(संख्या-5 / एम0डब्लू0-40-15 / 2021 श्र0सं0-7112)  
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

००७००७  
(राजीव रंजन)  
संयुक्त सचिव।

### अधिसूचना

पटना, दिनांक—

एस0ओ0— दिनांक— का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5 / एम0डब्लू0-40-15 / 2021 श्र0सं0-7113)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

००७००७  
(राजीव रंजन)  
संयुक्त सचिव।

५५५ अंजित लाल